

# कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रित विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९८५

(१९८६ का अधिनियम रोल्यांक २)

[४ जनवरी, १९८६]

युद्ध कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और नियंत्रित के संबंधन  
के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का  
और उससे सम्बन्धित  
दियों का उपचय  
करने के लिए  
अधिनियम

भारत गवर्नर्च के छठीमवें बैठक में संग्रह द्वारा निर्मातृत्वित रूप में यह  
अधिनियमित हो :—

## अध्याय १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त  
नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रित विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९८५  
है।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(३) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिक-  
नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए  
निम्नलिखित तारीखें नियत की जा सकेंगी।

२. परिमाणाएँ—इन अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित  
न हो,—

(क) “प्राधिकरण” से धारा ४ के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत  
खाद्य उत्पाद नियंत्रित विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) “नियंत्रित” से मूमि, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा भारत से बाहर  
ने जाना अभिप्रेत है;

(घ) “नियंत्रिकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा १२ के  
अधीन अनुसूचित उत्पादों के नियंत्रिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) “सदस्य” से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके  
अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा  
विहित अभिप्रेत है;

(८) अनुसूचित उत्तादों के सम्बन्ध में, "प्रतंस्करण" के अन्तर्गत ऐसे उत्तादों के परिवर्तन की प्रक्रिया, जैसे डिल्डों में भरना; ठण्डा करना, मुख्याना, नमक लगाना, धूपन करना, छोलना या टुकड़े करता तथा प्रतंस्करण का कोई अन्य ऐसा ढंग है जो प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनियोग करे;

(९) "दिनियम" से इन अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(३) "अनुसूचित उत्ताद" से अनुसूचित में सम्मिलित हृषि या प्रतंस्कृत खाद्य उत्तादों में नै कोई उत्ताद अभिप्रेत है।

3. अनुसूची वा संशोधन करने को शक्ति—केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई हृषि या मसंस्कृत खाद्य उत्ताद, यास्थिति, जोड़ जड़ेंगी वा उत्तम में से लोप कर सकेंगी और, यास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप किए जाने पर ऐसा उत्ताद, अनुसूचित उत्ताद हो जाएगा या नहीं रहेगा।

## अध्याय 2

### हृषि और प्रतंस्कृत खाद्य उत्ताद नियंत्रित विकास प्राधिकरण

4. प्राधिकरण को व्यापना और उसपर गठन—(१) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियंत्रित करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जिसका नाम हृषि और प्रतंस्कृत खाद्य उत्ताद नियंत्रित विकास प्राधिकरण होगा।

(२) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला नियमित निकाय होगा जिसे जंचब और स्वावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्यवन करने की तथा संचिन्दन करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस उत्तर पर वाद लाया जाएगा।

(३) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुसूचना से, नात्त में या भारत के बाहर अन्य स्थानों पर कार्यालय या अधिकरण स्थापित कर सकेगा।

(४) प्राधिकरण नियन्त्रित सदस्यों के नियन्त्रक बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) भारत सरकार का कुषित नियन्त्रण सलाहकार, पदेन;

(ग) एक सलाह, जो सोसायटी द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(घ) दोहरे के सोसायट, जिनमें दो लोक सभा द्वारा नियन्त्रित नियुक्त आयोग और एक दूसरा सभा द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा ;

(ङ) दोहरे के सोसायट, जो एवं वे नियन्त्रित से राम्भित केन्द्रीय सरकार के संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :—

- 271
- (ii) नियुक्ति;
  - (iii) भवान;
  - (iv) इच्छा;
  - (v) साइ;
  - (vi) कार्यक्रम प्रूति;
  - (vii) गांधर विहानम्;
  - (viii) नीचहन और परिवहन;

(ग) पांच तदन्त, जो राज्यों और संघ राज्यों को प्रतिनिधित्व करने के लिए बांकमानुसार चलानुभव से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाएंगे :

परन्तु इस उपर्युक्त के अधीन कोई नियुक्ति, यथास्थिति, सम्बन्धित राज्य या संघ राज्यों की सरकार की नियन्त्रित पर की जाएगी ;

(छ) तीन नदियाँ, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाएंगे :—

- (i) भारतीय कृषि एन्सैंड्रान परिषद्;
- (ii) भारतीय डगन-कृषि बोर्ड;
- (iii) भारतीय कृषि सहायारी विषयन परिसंघ;
- (iv) केन्द्रीय घाय प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान;
- (v) भारतीय एकेजिन संस्थान;
- (vi) मध्यस्था नियंत्रित वंशवर्धन परिषद्; और
- (vii) काञ्जु नियंत्रित वंशवर्धन परिषद्;

(ज) बारह संस्थाय, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (i) फल और बनस्पति उत्पाद उद्योग;
- (ii) मान, कुक्कट-पालन और डेरी उत्पाद उद्योग;
- (iii) अन्य अनुनूचित उत्पाद उद्योग;
- (iv) पैकेजिन उद्योग ;

परन्तु उपर्युक्त (i) से (iii) तक में विनिर्दिष्ट उद्योगों के समूहों में से किसी का या उपर्युक्त (iv) में विनिर्दिष्ट उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में दो से कम नहीं होगी ;

(झ) दो सदस्य, जो कृषि श्रमिकों और अनुसूचित उत्पादों के विषयन के क्षेत्र में विषेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

270

(५) उपराया (४) के गढ़ (ग) में निर्दिष्ट सदस्य में जिन सदस्यों वी, पदावधि और ऐसे सदस्यों में होने वाली वित्ती की भवनी की रीति तथा सदस्यों द्वारा अपने गुणों के निर्वहन में व्यवस्था भी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होमी, जो विर्वहन की जाए।

(६) जब केन्द्रीय सरकार के किमी ऐसे अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, उस सरकार द्वारा उस निमित्त प्रतिनिवृत्त किया जाता है तब उसे प्राधिकरण के अधिवेशनों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का प्रधिकार होगा, किन्तु वह जा देने का हक्कार नहीं होगा।

(७) प्राधिकरण या धन्त ५ के अधिनि उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कार्यविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण या ऐसी समिति में कोई नियंत्रण या उसके गठन में कोई वृद्धि है; या

(ख) प्राधिकरण या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी अधिवेशन की विषयता में कोई वृद्धि है; या

(ग) प्राधिकरण या ऐसी समिति की प्रक्रिया में कोई ऐसी अविष्य-विवाद है जिसका पामके होना चाहिये एवं कोई प्रदाव नहीं पड़ा है।

(८) प्राधिकरण ऐसे गान्धी और ग्यान्धी पर प्रधिकरण करेगा और पपने अधिवेशनों में कारवार के संबंधित के (जिनके अन्तर्गत उसके अधिवेशनों में गणपूर्ण भी है) सभ्यत्व में प्रतिकार ऐसे नियमों का वाचन करेगा जो वित्तीयों द्वारा उपलिखित किए जाएं।

५. ज्ञानका का वेतन और जत्ते तथा सेवा की अन्य राते और सदस्यों के मत्ते—(१) अध्यक्ष एवं वेतन और भत्तों का हक्कदर होगा तथा छट्टी, पेंशन, जनील निधि और अन्य विधियों की वाका सेवा की ऐसी गल्ली के ग्राहीत होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, ग्राम्य-समय पर नियत रो जाए।

(२) प्राधिकरण के अन्य सदस्य ऐसे वने पाल करेने जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित जाए।

(३) प्रोफेर सरण्य में विद्र भी उपराय के द्वारा सरकार द्वारा नियमित गृहना वाला पर समय लेनेवा वीर ऐसे अनुसार के नवीकार कर लिए जाने पर उसके बारे में यह समझ जाएगा कि उसने घरना पद दिलाउ दिया है।

६. ज्ञानका का भूषण जाकर द्वारा होना—अन्यथा, प्राधिकरण का भूषण जाकर द्वारा होगा और ऐसी अविष्यों द्वारा दर्शन द्वारा ऐसे कर्तव्यों का पालन होना जो विद्यि किए जाएं।

७. प्राधिकरण का व्यवस्था और प्रत्यक्ष रूपालिखित—(१) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के विषय प्रत्यक्ष करेनी जो ऐसी इनियियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेना जो विद्र विद्र जाएं वा प्रधान द्वारा उसे प्रत्या दी जाए जिए।

(२) ग्राम्य ऐसे देश और नगरों का अपार्वोत्तम छट्टी, पेंशन, जनील निधि और अन्य विधियों की जाइज देवा ऐसी गल्ली के ग्राहीत होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, ग्राम्य-समय पर नियत कै जाए।

(३) प्राधिकरण ऐसे विद्युत और नियमों के प्रयोग रहे हुए, जो विद्र विद्र जाएं, ऐसे अन्य प्रधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर लेंगे जो

उसी शब्दों के देख पालन के लिए आवश्यक है, और प्राधिकरण के लिए अन्य विधिवालियों, और कर्मचारियों की विविधता की देख, बैलापान और अन्य चाल रेसोर्सों की आवाहनों में से जो प्राधिकरण का लाभ, नियन्त्रण देता, उत्तमित कर सकता है।

(३) अप्रैल तक इस दृष्टि, जोकि यह सभी प्राधिकरणों का अधिकारी के लिए संभव है, की अनुसार की अपेक्षा अधिकारण के अधीन आवाहनों के अवैद्य नियंत्रण का उत्तर इस में नहीं होने।

४. प्राधिकरण को संयोजितों का अंतरण करने के लिए विशेष उपचार—  
(१) प्राधिकरण की समाजी पर कोर्टों वर्गाद्वारा के लिए यह विधिपूर्ण नियन्त्रण की अवैद्य रेसोर्सों को ऐसी विधिवालियों से जो आदेश में विनियोगित की जाए, ऐसे किसी अंतर्वर्ती या अन्यकर्मचारी को, जो ऐसी वारीय के, जिनमें प्राधिकरण अपरिवृत दिया जाता है, ठीक पूर्व शर्यारुप या अन्यान् पर्याप्त परिषद् में (जिस दृष्टि परंतु परिवर्तनात् यथा गया है) उन दृष्टि पर आवाहन कर देता या, प्राधिकरण जो शासनालियों का है :

परस्तु प्राधिकरण में यह पर का, विशेष पर में प्रतिकारी या अन्य कर्मचारी का आदेश दिया जाता है, वैकल्पिक उन पर के वेतनमात्र ये कम नहीं होता जिसे यह ऐसे अंतरण के ठीक पूर्व धारण करता है, और उस पर की, जिस पर उनका अंतरण दिया जाता है, जेवा के अन्य विकल्प और शर्तें (जिनके अन्यों से एक, छठ्यों अविष्ट नियंत्रित और विनियोग प्रमुखियाएँ हैं) ऐसे प्रत्यरुप के ठीक पूर्व उसके हाथा धारित पर में नवीनीत सेवा के नियंत्रणों और शर्तों से कम गतिशुल नहीं होती हैं।

(२) उपर्याप्त (१) के अधीन कोई आदेश इन प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका ऐसी वारीय न जो इन अंतर्विद्यम के प्रारंभ की तारीख में पूर्वतर न हो, गूलगड़ी प्रभाव हो।

(३) उपर्याप्त (१) के अधीन दिया जाने वाले के पूर्व, परस्त के सभी प्राधिकारियों और कर्मचारियों को, ऐसे प्रैल्प में जो विहित दिया जाए, और इनसे समय के भीतर जो केन्द्रीय वर्गादार द्वारा इस नियमित विनियोग दिया जाए, जो विकल्प दिया जाएगा फिर वे यह बताएं कि वे प्राधिकरण के कर्मचारी बनने के लिए राज्याभव द्वारा नहीं और एक बार विकल्प द्वारा प्रदेश करने पर यह अंतिम होता :

परस्त उपर्याप्त (१) के अधीन कोई आदेश, परिषद् के ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी न संबंध में जारी नहीं किया जाएगा जिसने इस नियमित विनियोग समय के भीतर प्राधिकरण का कर्मचारी न बनने के अपने आशय की सूचना दी ही है :

परस्त यह और कि परिषद् के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, जो इन नियमित विनियोग समय के भीतर प्राधिकरण के कर्मचारी बनने का अपना आशय प्रकट नहीं करते हैं, उसी नियमित से और उन्हीं विधियों और स्थायी और कर्मचारियों के अनुमान का अनुमान द्वारा बनाए जाएगी जो परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने की दृष्टि में परिषद् के कर्मचारियों को इस अंतर्विद्यम के प्रारंभ के ठीक पूर्व नागूद होते होते।

(४) उपर्याप्त (१) के अधीन दिये गए किसी आदेश द्वारा अंतर्गत कोई अधिकारी या कर्मचारी, अंतरण की तारीख से ही परिषद् का कर्मचारी नहीं देगा, और ऐसे प्राधिकरण ने प्राधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी नहीं देगा, जो प्राधिकरण अवधारित कर और उपर्याप्त (१) के परस्तक के उपर्याप्त विधियों के अधीन रहते हों, पारिषद्विकारी और जेवा की अन्य शर्तों के (जिनके अन्तर्गत एक, छठ्यों अविष्ट नियंत्रित और विनियोग प्रमुखियाएँ भी हैं), संबंध में इन देशन, छठ्यों, अविष्ट नियंत्रित और विनियोग प्रमुखियाएँ भी हैं), संबंध में इन प्राधिकरण के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होगा प्राधिकरण के अधीन प्राधिकरण का अधिकारी यह अन्य कर्मचारी बना रहेगा जब तक और तब तक प्राधिकरण का अधिकारी यह अन्य कर्मचारी बना रहेगा जब तक उसका नियोजित प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण रूप से ननाप्त नहीं कर दिया जाता है :

१७

५

परन्तु जब वक्त शाधिकरण के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की सेवा को शतों को लाभित करने वाले और नियिक चिनितम् प्राधिकरण द्वारा नहीं काम, जाते हैं तथा तक परिषद् के प्रधिकारियों और कर्मचारियों को लापू होने काम, जाते हैं तथा तक परिषद् के प्रधिकारियों और कर्मचारियों को लापू होने काम जुसंगत विधियों द्वारा सदाचार आदेश उनको लागू बन रहे !

(5) यदि कोई प्रेस्ट उठाता है कि वह किसी विषय के बारें में, जिसके अन्तर्गत पारिशास्त्र, पेशन, छुट्टी, अविष्य यित्रियों और चिनितम् प्रसुविधाओं सी हैं, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए चिनियों में विहित सेवाओं के निवधन और शतों, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के प्राधिकरण में उसके अन्तरण के ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद से संबंधित व्यवधानों और शतों से कम अनुकूल हैं तो इन विषय में केवलीय नस्तार का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. प्राधिकरण को समितियाँ—(1) प्राधिकरण ऐसी समितियाँ नियुक्त कर भक्तों जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दथ निर्वहन और गुरुत्वों के दल पालन के लिए आवश्यक हैं।

(2) प्राधिकरण जो वह शक्ति होगी कि वह पैसे अन्य व्यविधियों को, जो प्राधिकरण के तदस्य नहीं हैं, उनमें बनवा में जितनी वह ठीक समझे, आधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में अधिकारियों कर यीर इन प्रकार रह्योजित व्यविधियों को समिति के अधिकारियों में उपरित्थि होने और उनमें कार्यवाहीयों में भाग लेने का प्राधिकार द्वारा किया गया दल देने का प्राधिकार नहीं होगा।

(3) जल्दान (2) के अधीन किसी समिति के सदस्यों के रूप में गहराईकृत व्यक्ति, अधिकृत के अधिकारियों में रह्योजित होने के लिए ऐसे भत्ते पालन करने के लिए नस्तार देने वाले केवलीय नस्तार द्वारा नियम लिए जाएँ।

10. प्राधिकरण के छ—(1) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह नेतृत्व उत्तीर्ण शास्त्र, जो वह द्वारा दलये, केवल गवाहार के नियंत्रण के अधीन, नेतृत्व उत्तीर्ण शास्त्र के नियम और संवर्धन का जिम्मा ले।

(2) उपाया (1) के उत्तीर्णों को दाखिला पर प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना, उसमें निरिष्ट उत्तीर्ण उत्तीर्ण के लिए उत्तरव लिया जा सकता है, अवैत्:

(a) योक्ता और दाखिला दक्षिणी अधायन करने के लिए वित्तीय नियमों की व्यवस्था करने वा दाखिला, संयुक्त प्रोत्ययों के माध्यम से दाखिला फंडी में भाग लेकर यीर इन अनुत्तीर्णों और सहायता स्फीमों का कु रूप नीं नियम के लिए अनुमति उत्तीर्ण से संवर्धित उत्तीर्णों का दिलाया;

(b) दाखिलों जा नियुक्ति उत्तीर्णों के नियातिकरणों के रूप में ऐसी कीद जा यी विहित जो ज्ञान, नियम लिए जाने पर रजिस्ट्रीकरण;

(c) नियम के प्रतीकों के लिए अनुमति उत्तीर्णों के मानक और नियंत्रण नियम दिला;

(d) संघ आरम्भ उत्तीर्णों जा विधी व्यवस्था प्रसंस्करण संघर्ष, अन्यायकरण नियम, विभिन्न वा ऐसे अन्य स्थानों में जहाँ ऐसे उत्तरदात्यों जो उत्तीर्णों की वित्तीय गुणित्व करने के अधीन के लिए नियोजित होता;

(e) आयुर्वित उत्तीर्णों के दैर्घ्यमें में युधार करना;

(f) आयुर्वित उत्तीर्णों के भागों में बाहर विभान में युधार करना;

(६) अनुगृहित उत्तरों के नियतीतिष्ठानी उत्तराधिकार संबंधी और उत्तराधिकार ;

(ज) अनुगृहित उत्तरों में उत्तराधिकार, प्रयांत्रण, एकेजिंग, विषयन या शक्ति में उपर्युक्त कारणों में से उत्तरों के अनियतीति या ऐसी गम्भीर व्यवित्रियों में, जो निहित नियम अनुगृहित उत्तरों के संबंधित नियतीति विषय पर अधिकारों का संभवण और दक्ष प्रभार संग्रहीत अधिकारों वा उनके फ़िल्टरों द्वारा का या उनके उद्देशों का प्रकाशन ;

(झ) अनुगृहित उत्तरों से संबंधित उचोनों के विभिन्न पहलुओं वा शिक्षण ;

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो विहित नियम द्वारा जाए।

11. प्राधिकरण का प्रधिकरण करने की सक्ति—(१) यदि केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि प्राधिकरण द्वारा कर्तव्य का, जो उस पर इस प्रधिकरण द्वारा या उसके अधीन प्रधिकरण किया गया है, पालन करने में असमर्थ है या उसके पालन में उसने लगातार व्यतिक्रम किया है अथवा अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है अथवा वह जानकारी या पर्याप्त कारण के बिना, धारा 20 के अधीन जारी किए गए किसी विदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रधिकरण द्वारा प्राधिकरण का ऐसी अवधि के लिए जो प्रधिमूचना में विनिर्दिष्ट हो जाए, प्रधिकरण कर सकेंगे :

परंतु इस उपाधारा के अधीन प्रधिमूचना जारी करने के पहले, केन्द्रीय सरकार प्राधिकरणों को इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए कि उसका प्रधिकरण क्यों न किया जाए, युनियन समय देगी तथा प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आदेशों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(२) प्राधिकरण का प्रधिकरण करने वाली, उपधारा (१) के अधीन प्रधिमूचना के प्रकाशन पर,—

(क) प्राधिकरण के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनसी पदाधिकार समाप्त नहीं हुई है, प्रधिकरण की तारीख से, ऐसे सदस्यों के सभी में अपने पद स्वित कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों और कर्तव्यों का, जिनका इस प्रधिकरण के उपर्युक्तों द्वारा या उनके अधीन, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या पालन किया जा सकता है, प्रधिकरण की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा, जिसे वा जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्देश दे ;

(ग) प्राधिकरण में निहित सब सम्पत्ति, प्रधिकरण की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रधिमूचना में विनिर्दिष्ट प्रधिकरण की अवधि के अवसर, पर, केन्द्रीय सरकार—

(क) प्रधिकरण की अवधि का ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, विस्तार कर सकेंगी ; या

(ख) प्राधिकरण का, धारा 4 में उपविधित रीति से पुनर्गठन कर सकेंगी।

## अध्याय ३

## रजिस्ट्रीकरण

१२. निर्णतकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण—(१) अनुमोदित उत्पादों में से किसी एक या अधिक उत्पादों का निर्णत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस तारीख ने विराजो वह प्रस्ता विवरण करता है, एक मात्र के अवशान के पूर्व या इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पूर्व, इनमें से जो भी पश्चात्यवर्ती है, अनुमोदित उत्पाद या अनुमोदित उत्पादों के निर्णतकर्ता के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण को अवैदेत करेगा :

प्रत्येक प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण के लिए समय-समाप्ता को पर्याप्त कारण से उत्तीर्ण धर्वानी के लिए वहाँ राकेगा जिसनी वह ठीक समझे।

(२) पुकार वार किया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक वह प्राधिकरण इन रद्द नहीं कर दिया जाता है।

१३. रजिस्ट्रीकरण के लिए धावेदम, उत्पाद रद्दकरण, उसके लिए संदेश फौल और उससे संबंधित जन्म विषय—धारा १२ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रवृत्त, ऐसे प्रावेदनों पर विशेष फैल, पैरों आवेदनों में समिक्षित की जाने वाली विविधियाँ, रजिस्ट्रीकरण इन अधिकारियों द्वारा उत्पाद करने में अनुरागण वीज जाने वाली प्रतिक्रिया और प्राधिकरण द्वारा उत्पाद की जाने वाली रजिस्टर पैरों होंगे जो विहित किए जाएँ।

१४. निर्णतकर्ताओं द्वारा विवरणों का दिया जाना—(१) धारा १२ की अपार्थीत (१) में निर्दित प्रत्येक निर्णतकर्ता विहित समय पर और विहित रीति से प्राधिकरण से ऐसी विवरण देगा जो विहित की जाएँ।

(२) प्राधिकरण, इस धारा के अधीन दी गई किसी विवरणी को झुढ़ता को अव्याप्ति करने के लिए किसी प्रत्यक्षराण संघर्ष या निर्णतकर्ता के किसी अन्य स्थापन का किसी भी समय निरीक्षण करने के लिए किसी सदस्य या अपने अधिकारियों में से किसी को प्राधिकरण कर राकेगा।

## अध्याय ४

## वित्त, लेपा और लेखा परिक्षा

५. केंद्रीय वरकार द्वारा अनुदान द्वारा उत्पाद—केंद्रीय सरकार, संचाद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्बन्धित विवरण किए जाने के पश्चात, प्राधिकरण को ऐसी अवश्यकिता का अवश्यक या उत्पादों के रूप में संकाय कर सकेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवश्यक इस प्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठोक समझे।

६. लुधियाँ और प्रत्यक्षराण द्वारा उत्पाद निर्णत विकास निधि का गठन—(१) लुधियाँ और प्रत्यक्षराण द्वारा निर्णत विकास निधि के नाम से एक निधि गठाद जारी की जाएँ जिसमें नियमित रूप से विवरण दिया जाएँ :—

(१) ऐसी अवश्यकियों जो केंद्रीय सरकार, संचाद द्वारा इस निमित्त विवरण द्वारा यथावृत्ति विवरण किए जाने के पश्चात् कुपि और प्रत्यक्षराण द्वारा इसका उपयोग राज्यकालीन, १९८५ (१९८६ का ३) की धारा १ के अधीन जारी किए गए सरकार-केंद्रीय विवरण के अन्य और वापस की गई सभी विवरणों के लिए उपयोग किए जाने के पश्चात् उत्पादों द्वारा दिया जाएँ यारे नहीं हो, उड़ीओं करने के पश्चात् उत्पादों द्वारा दिया जाएँ ;

(२) इस अवश्यकिया या इसके अधीन कामाएँ गए विवरणों के अधीन रजिस्ट्रीकरण द्वारा यथावृत्ति विवरणों को वापस उत्पन्नहीन और यथावृत्ति विवरणों की फौर्तें ;

(प) पात्रा 15 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उन सरकार द्वारा ऐसे बोर्ड और अनुदान या उपाय और

(प) कोई अनुदान या उपाय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उन सरकार द्वारा सुनियोग या अन्य संसद द्वारा दिए जाएँ;

वे नियम में पैदा कोई अनुदान, उपाय या सुनियोग सरकार के पूर्ण अनुदान ही ही जगत किसी जाएगा, अन्यथा नहीं।

(२) नियम का उत्तम नियन्त्रिति के लिए दिया जाएगा, अर्थात्—

(क) पात्रा 10 में नियिष्ट उपायों का समन्वय को नुकसान;

(ख) प्राधिकरण के, यांत्रिकी, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के बोर्ड, असे और अन्य पारिषदिक वो चुनाना;

(ग) प्राधिकरण के अन्य प्रशासनिक खज और इस अधिनियम द्वारा द्ये गये इच्छीन प्राप्ति अन्य खजों को चुनाना; और

(घ) यिनी उधार का प्रतिसंदाय करना।

१८. उधार लेने की प्राधिकरण की शक्तियाँ—ऐसे नियमों के अधीन रहते हैं कि इस नियम द्वारा जाए, प्राधिकरण का, इस अधिनियम के प्रयोजनों को दाखिलना करने के लिए, कृपि और प्रमाणित खात्य उत्पाद नियति विकास नियम या इसी अन्य आस्ति की प्रतिभूति पर उधार लेने की शक्ति होगी।

१९. लेखा और लेखा परीक्षा—(१) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य अन्य लेखाना योग्या और कठारों का एक व्यापक विवरण है; प्रह्ल में तेवार करना या केंद्रीय सरकार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा मामूल भारके निहित है।

(२) प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एवं कठारों पर की जाएगी जो उनके द्वारा विनियिष्ट किए जाएं प्राप्त योग्यी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपका कोई व्यक्त प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का संरेख हाय।

(३) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को और प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में वे अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को सखारारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नायात्मक होते हैं और विशिष्टतया उसे व्यक्तियों, केवल और, समन्वय वाउचरों तथा इन इत्यावेज और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के कायाकलियों में देकिसी भी कायाकलिय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(४) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस नियम उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखा और उनकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी और वह सुरक्षा उन्हें संसद के प्रत्येक सुनन के समक्ष खबराएगी।

### अध्याय 5

#### केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

१९. अनुसूचित उत्पादों के आयात और तिर्यात को प्रतिविद्ध या नियंत्रित करने की शक्ति—(१) केंद्रीय सरकार, समन्वय में प्रकाशित द्वारा द्वारा अनुसूचित उत्पादों के आयात या नियंत्रण को या तो सावोरेणतया या विनियिष्ट वर्षों के सामने में प्रतिविद्ध, नियंत्रित या अन्यथा नियोजित हरने वाले उत्पन्न कर सकेगी।

(2) ऐसे गर्वी अनुसूचित उत्तरदाता निम्नलिखित उपचारा (1) के अधीन गिरा भया कोई आदेश नामूद होता है, ऐसे माल संकलन जाएगे जिनका नियति रीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन प्रतिपिछु किया गया है और उस अधिनियम के मानी उपचार तदनुसार प्रभावी होंगे।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपचारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता तो वह, ऐसे किसी अधिहरण या शास्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव लाने विना, जिसके लिए वह उपचारा (2) द्वारा यथा नामूद सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपचारों के अधीन दायी हो, कारावास से, जिसकी अवधि एवं वर्ण तक की ही गिरावधि, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

20. केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेश—प्राधिकरण ऐसे निवेशों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के बधा प्रबोधन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएँ।

21. विवरणियां और रिपोर्ट—(1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे रूप में, तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए या जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, ऐसी विवरणियां और काथन तथा अनुसूचित उत्तरों के विषय के संबंधन और विवास के लिए किसी प्रस्थापित या विद्यमान कार्यक्रम की वापत ऐसी विविट्यां देगा, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधेक्षा करे।

(2) उपचारा (1) के उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव लाने विना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथार्थीत्र, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्रहृष्ट में योर ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाए, रिपोर्ट देगा जिसमें पूर्ववर्ती विनायक वर्ष के दीर्घन उसके क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों का भी और गूढ़ विवरण दिया जाएगा।

(3) उपचारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात यथार्थीत्र तंत्रज्ञ के प्रत्येक सदन के नमक रद्दी जाएगी।

#### अध्याय 6

##### प्रकल्प

22. मिल्या विवरणियां देने के लिए जारी—ऐसे व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी विवरणी के दिए जाने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसी विवरणी देने में असकल रहेगा या ऐसी विवरणी देना जिसमें ऐसी कोई विविट्या है जो भिन्ना है योर जिनके बारे में यह जानता है कि वह भिन्ना है या विवरण नहीं करता है कि यह सत्त्व है, जुमनि से, जो पांच हजार रुपये का हो तो उसका, रडनार होगा।

23. प्राविकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन में वाधा पहुंचाने तथा बहिर्यों और अभिलेख पेश करने से असफल रहने के लिए शारितादा—ऐसे व्यक्ति—

(क) जो अधिकार द्वारा लियित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राविकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिकृत किसी कर्तव्य के निर्वहन में वाधा पहुंचाएगा; या

(ख) जो किसी केन्द्रीय या अन्य अभिलेख को जो उसके नियंत्रण या अनियंत्रण में है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी वही या अभिलेख को पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर पेश करने में असफल रहेगा,

यह कारणात्मक हो, किसी अवधि छह मास तक की हो नहीं, या जुमनि से, जो एक हजार रुपये तक का हो गोड़ा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

२५०

२४. अधिक अधिनियम—जो वार्षिक इस अधिनियम का एको अधीन बनाए थे जिसमें के उपर्योग का, उन उपर्योग की लैप्टॉप जिसमें उल्लंघन के लिए है, का उपर्योग धारा १३, धारा २२ और धारा २३ में लिए गए है, उल्लंघन करने पर उल्लंघन करने का प्रत्यक्ष करेगा इन उल्लंघन का उल्लंघन करना बहुत आवश्यक है। जगती शब्दियाँ इस साल तक नहीं होनी चाहीं, जो जूरी हैं जो इन्हें दृष्टिकोण से उक्त तथा ही शब्दों, या इसीं से, दर्जनों दूसरी शब्दों से याकेडूल्लंघन की दशा में, अधिनियम बनाने से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दृष्टिकोण के पार्श्वात् हैं। प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दोस्रा हैं। उल्लंघन जाने रहा है, वहाँ से उक्त उक्त वार्षी होनी चाहीं, एकमात्र हैं।

२५. अधिनियमों द्वारा अपराध—(१) यहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई कानूनी दाता किया गया है वहाँ प्रत्येक अधिनियम जो उस अपराध के लिए जाने के लाये उस अधिनियम के कानून के अन्दर से कोई उपर्योगी का आरोपण की गयी उसके प्रति उल्लंघनीय है, और साथ ही उस कानूनी भी पैदा अपराध के लिए याकेडूल्लंघन शामिल होनी चाहीं जाने और दर्जित किया जाने के भागी होगे :

परन्तु इस उपकारा की कोई वात किया है व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं लाएगी यदि वह यह साक्षित कर देता है। इस अपराध उमरका जानकारी के किया जाया गया था या उनके लिए अपराध के लिए जाने का निकारण बर्खे के लिए नव सम्बन्ध तत्परता वर्ती ही।

(२) इसका (१) में कियी वात के होने हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया कर्ता कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साक्षित हो जाता है तो वह अपराध कम्पनी के कियों निदंगत, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या भीतान्त्रकृतता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उनकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहाँ पैदा निदंगत, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी शी उस अपराध का दोपी समझ जाएगा और तदनुसार अपने विलङ्घ कार्यकारी की जाने और दर्जित किए जाने का भागी होगा।

#### स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रधानतों के लिए—

(क) "कम्पनी" में कोई नियमित निकाय शमिल है और इसके ग्रन्तीनं फर्म या व्यापिकों का सम्बन्ध संगम है ; और

(ख) फर्म के मध्य में, "निदंगत" से उस फर्म का भागीदार शमिल है।

२६. न्यायालय की अधिकारिता—महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या अधिकारी न्यायालय इन अधिनियम के अधीन दृढ़तया किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

२७. केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी—इस अधिनियम के अधीन दृढ़तया किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

२८. सद्मावपूर्वक जी गई कार्रवाई के लिए सर्वत्र—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्मावपूर्वक जी गई या की जाने के लिए आशयित किसी वात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या ऐसी समिति के किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

२९. प्रदायोजन करने की शक्ति—केन्द्रीय अन्तर्राज, राजपत में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह नियंत्रण दे सकती कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (जो धारा ३२ के अधीन नियम बनाने की शक्ति नहीं है), ऐसे मामलों

गे और ऐसी शर्तों के बिना कही ही, याकूब रहते हुए, जो आदेश में विस्तृत भी थाएँ, ऐसे अधिनियम जो प्राचिकरण द्वारा भी, जो उन्हें विनियिट किया जाएँ प्रयुक्त की जा सकते हैं।

246

30. इस अधिनियम के प्रवर्तन का लिखें—(1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह रानीधार ही जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्तम हो गई है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि इस अधिनियम द्वारा अधिकृत कुछ नियंत्रण, अधिसूचित नहीं किए जाने चाहिए, या वह ऐसा कानून लालू हित में आवश्यक या भवीतीन सम्बन्धी है तो वह राज्यकां में अधिकूलता द्वारा, इस अधिनियम के सभी दो किन्हीं उपयोगों का प्रवर्तन उन सीधा तरफ़ और अनियिट कानून के लिए या कर सकेंगी।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के नियमी उपकथ का प्रवर्तन अनियिट कानून के लिए निलंबित या प्राचिकरण कर दिया गया है वहाँ ऐसा निलंबन या गिरिलीकरण कियी भी सकते, जब वह अधिनियम प्रयुक्त रहता है केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिकूलता द्वारा, हटाना जा सकेगा।

31. अत्य विधियों का उत्तम किया जाना चाहिए नहोगा—इस अधिनियम के उपकथ वक्तामय प्रधान किसी अन्य विधि के उपकथों के अनियिट होंगे, तो उनको य प्रोक्षण में—

32. नियम वनस्पति की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार वनस्पति में अधिकूलता द्वारा, यस अधिनियम के प्रयोगों से कार्यवित करने के लिए नियम जाना जाएगी।

(2) नियिटका भी युरोजामी जलि ही व्यापकता पर विकृत प्रभाव याने विता, प्रयोगित नियमिति यमी वितों या उनमें से किसी के लिए उपकथ द्वारा सकेंगे, यदि—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन यदस्पतों की [जो धारा 1 की उपधारा (4) के तर्ज (ग) में नियिट सरकार से भिन्न है] पदाधि और यदस्पतों में होने वाली रिकॉर्डों को भरने के दीर्घ और ऐसे यदस्पतों द्वारा याने वालों के लिए ही में अनुनय की जाने वाली प्रविधि;

(ग) ये अविकारी विता प्रयोग और वे कर्तव्य जितका पालन धारा 6 के अधीन प्राचिकरण के मुख्य कार्यालय के रूप में अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा;

(घ) ये अविकारी विता प्रयोग धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राचिकरण के किसी जारा विता को सकेंगे और वे कर्तव्य जितका पालन धारा 7 वो उपधारा (1) के प्रयोग प्राचिकरण के नियम द्वारा किया जा सकेगा;

(ङ) यह विधि वेरे ने नियिट वितों अधीन रहते हुए धारा 7 की उपधारा (3) के प्रयोग प्राचिकरण द्वारा क्या अविकारी और कर्मजारी विता किए जा सकेंगे;

(ज) यह विधि वेरे ने नियिट वितों अधीन रहते हुए धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्राचिकरण द्वारा क्या अविकारी और कर्मजारी विता किए जा सकेंगे;

(क) धारा 10 का अधार (2) के द्वारा (7) के अधीन अनुसिंह वालों के नियिट वितों के विकृत परिपद के लिए योग्य न होगा;

(क) राजदूतों द्वारा वे विता किये जानुपर्याप्त उपायों से अधिक वितों की विता वे विकृत आकड़ों के साथ, धारा 10 की उपधारा (2) के द्वारा (7) के अधीन किया जा सकेगा;

(12)

(न) वे अधिनियम जिनमें आमतौर परिवर्तन धारा 10 की जगहारा (2) के बाद (ज) के अधीन आमतौर परिवर्तनों के विवरण में उपलब्ध करवायेगा;

(ञ) धारा 13 के अन्तेर अधिकारियों के लिए और राज्यसभा के अधिकारियों के लिए व्यापक या प्रभुप्राप्त शीर्ष, ऐसे अधिकारियों के संघर्ष में संदर्भ पूर्ण व्यापक अधिकारियों करने वाली उपराज्यालय की जाने वाली प्रशिक्षण की जाने वाली शर्तों को शारीरिक रूप से उपलब्ध करवायेगा;

(ट) वह अन्य जिस पर और वह चीति जिसमें निर्वाचकर्ता धारा 14 की जगहारा (1) के अधीन प्राधिकारण को विवरणित किया जाएगा;

(ठ) वह प्रभुप्राप्त जिसमें और वह चीति जिसमें और वह अन्य जिस पर प्राधिकारण धारा 21 की जगहारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रिवरणियां और कब्ज़े देगा;

(ड) वह प्रभुप्राप्त जिसमें और वह लालित जिसके पूर्व प्राधिकारण धारा 21 की जगहारा (2) के अधीन अपने विधायिकाओं और कार्यक्रम की लिपोट केन्द्रीय सरकार ले देगा;

(इ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विविहित किया जाना है या किया जाए।

33. विनियम बनाने की शक्ति—(1) प्राधिकारण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व भंजी गे, राज्यालय में प्रधिनियम द्वारा, ऐसे गमी विधायियों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपाधियों को प्रभावशील करने के प्रयोजनों के लिए उपवंध करना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंधों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव छाने विना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपवंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) वे सभी और स्थान जिन पर धारा 4 की जगहारा (8) के अधीन प्राधिकारण या उसकी किसी समिति के अधिवेशन किए जाएंगे और उनमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उन सदस्यों की संख्या जिनसे किसी अधिवेशन में गण्डूत होगी;

(ख) धारा 7 की जगहारा (3) के अधीन प्राधिकारण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, सेवा की शर्तें तथा वेतनमान और भत्ते;

(ग) साधारणतया प्राधिकारण के कार्यकलापों का दक्ष संचालन।

(3) केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा मंजर किए गए किसी विनियम को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपांतरित या विखंडित कर सकेंगी और इस प्रकार उपांतरित या विखंडित विनियम, वयास्त्यिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु ऐसे किसी उपांतरण या विखंडन का उस विनियम के अधीन उसके उपांतरण या विखंडन से पहले की गई किसी बात को विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

34. नियमों और विनियमों का संसद द्वारा लैम्स्ट्रॉक रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा शोध, संसद के प्रतिवेदन द्वारा समर्थ, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की

1. ஏதேனும் கிடைத்துகின்ற வகையில் சிரமமாக விடப்படும் நிலையில் உருவாகும் மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம்.
- 1.1. ஒரு மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம்.
  - 1.2. ஒரு மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம்.
  - 1.3. ஒரு மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம்.
  - 1.4. ஒரு மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம்.

[Page 2 (a) எல்லை]

திருச்சியில்

1. திருச்சியில் கிடைத்துகின்ற வகையில் சிரமமாக விடப்படும் நிலையில் உருவாகும் மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம். இதை மாற்றுப் பாதை வகை என்று அழைகிறோம். இதை மாற்றுப் பாதை வகை என்றால் கிடைத்துகின்ற வகையில் சிரமமாக விடப்படும் நிலையில் உருவாகும் மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம். இதை மாற்றுப் பாதை வகை என்றால் கிடைத்துகின்ற வகையில் சிரமமாக விடப்படும் நிலையில் உருவாகும் மாற்றுப் பாதை வகையை கீழ்க்கண்ட வகையில் விவரிக்கிறோம்.